पहला अध्याय

1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

प्रस्तावना

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के अन्तर्गत राज्य की सरकारी कंपनियाँ तथा सांविधिक निगम आते हैं। राज्य के पीएसयू की स्थापना जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए की गई है।

1.2 31 मार्च 2012 को छत्तीसगढ़ में 18 सरकारी कंपनियां[1] एवं दो सांविधिक निगम[2] (सभी कार्यरत) थे। इनमें से कोई भी कंपनी स्कंध विपणियों में सूचीबद्ध नही थी। सितम्बर 2012 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखे के अनुसार इन पीएसयू का वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 14200.21 करोड़ आवर्त दर्ज किया गया। यह आवर्त वर्ष 2011-12 के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 10.48 प्रतिशत[3] के बराबर था। छत्तीसगढ़ राज्य के पीएसयू की प्रमुख गतिविधियाँ ऊर्जा क्षेत्र में केन्द्रित है। राज्य के पीएसयू द्वारा उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार वर्ष 2011-12 में समग्र लाभ ₹ 309.44 करोड़ का अर्जित किया गया। 31 मार्च 2012 की स्थिति अनुसार उन्होंने 21054 कर्मचारियों[4] को नियोजित किया हुआ था।

1.3 वर्ष 2011-12 के दौरान दो पीएसयू[5] स्थापित की गयी थी एवं किसी पीएसयू/सांविधिक निगम का समापन नही किया था।

---

1 छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (सीआरबीईकेवीएनएल), छत्तीगसढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (सीआरवीवीएनएल),छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम (सीएनजेवीएवीएन), छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड (सीआईडीसी), छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड(सीएमडीसी), सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड (सीआईसीएल), छत्तीसगढ़ सोंधिया कोल कंपनी लिमिटेड (सीएससीसीएल), सीएसपीजीसीएल एईएल पर्सा कोलरीज़ लिमिटेड (सीएसपीजीसीएलएईएलपीसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीजीसीएल) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (सीएसपीएचसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (सीएसपीटीआरसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीटीसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य मदिरा निगम लिमिटेड (सीएसबीसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (सीएससीएससीएल), छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज निगम लिमिटेड (सीएमएससीएल), एवं छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड (सीपीएचसीएल)।

2 छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम, (सीएसडब्लूसी) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (सीएसईबी), राज्य सरकार के गजट अधिसूचना दिनांक 19 दिसम्बर 2008 के अनुसार जिसे पांच कंपनियों में विखंडित कर दिया गया है। सीएसईबी का नाम ***अनुलग्नक-1.2*** में सम्मिलित होने तथा वर्ष 2011-12 के दौरान सीएसईबी के लेखों के अंतिमीकृत होने के कारण मिलान के उद्देश्यों से शामिल किया गया है।

3 प्रतिशत का आधार वर्ष 2011-12 के लिए राज्य के जीडीपी के आंकड़े है।

4 16 पीएसयू द्वारा उपलब्ध कराए गये विवरणों के अनुसार।

5 सीएमएससीएल एवं सीपीएचसीएल।

लेखापरीक्षा अधिदेश

1.4 सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से अधिशासित है। धारा 617 के अनुसार एक सरकारी कंपनी वह है जिसकी प्रदत्त पूँजी में सरकार का भाग 51 प्रतिशत से कम न हो। एक सरकारी कंपनी में सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी भी सम्मिलित होती है।

1.5 राज्य सरकार की कंपनियों (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है) के लेखों की लेखापरीक्षा वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के तहत उनकी नियुक्ति की जाती है। इन लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के तहत सीएजी के द्वारा भी की जाती है।

1.6 सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम के संदर्भ में, भण्डारगृह निगम अधिनियम, 1962 एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के संदर्भ में, विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत शासित होती है । सीएसडब्लूसी की लेखापरीक्षा सांविधिक अंकेक्षको द्वारा तथा अनुपुरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है जबकि सीएजी सीएसईबी का एकल लेखापरीक्षक है।

राज्य के पीएसयू में निवेश

1.7 31 मार्च 2012 की स्थिति अनुसार 20 पीएसयू में (दो सांविधिक निगमों सहित) ₹ 17734.35 करोड़ का निवेश (पूँजी और दीर्घावधि ऋण) था जैसा नीचे तालिका में विवरण दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

सरकारी कंपनियाँ			सांविधिक निगम			महायोग
पूंजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूंजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
9157.07	8564.27	17721.34	1.00	12.01	13.01	17734.35

राज्य के पीएसयू में सरकारी निवेश की संक्षिप्त स्थिति का विस्तृत वर्णन ***अनुलग्नक-1.1*** में है।

1.8 31 मार्च 2012 की स्थिति अनुसार कुल निवेश ₹ 17734.35 करोड़ से 51.64 प्रतिशत पूँजी और 48.36 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण के रूप में कुल निवेश हुआ। पीएसयू में निवेश वर्ष 2007-08 में ₹ 3152.28 करोड़ से 462.59 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2011-12 में ₹ 17734.35 करोड़ हुआ जैसा कि नीचे दर्शाया गया हैः

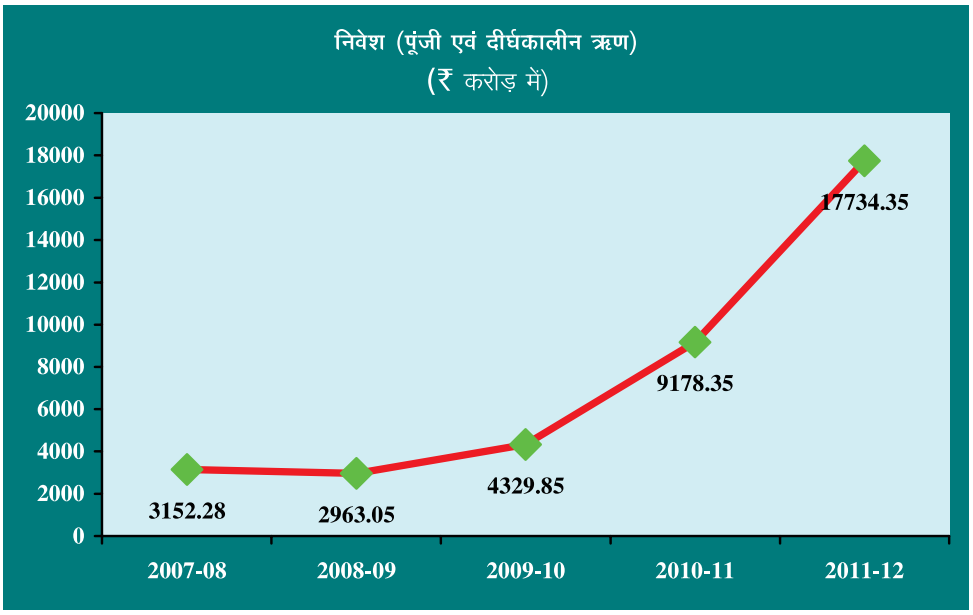

उपरोक्त रेखाचित्र से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य के पीएसयू में विनियोग गत वर्ष की तुलना में ₹ 8556 करोड़ की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण राज्य सरकार (वर्ष 2010-11 के दौरान अंश उचंत लेखे में रखा था) से ऊर्जा क्षेत्र में समता के रूप में ₹ 4455.05 करोड़ एवं पावर वित्त निगम लिमिटेड एवं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड से ऋण के रूप में ₹ 2776.38 करोड़ का निवेश था।

1.9 31 मार्च 2008 तथा 31 मार्च 2012 को विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उसका कुल निवेश में प्रतिशत नीचे बार चार्ट में प्रदर्शित किया गया है:

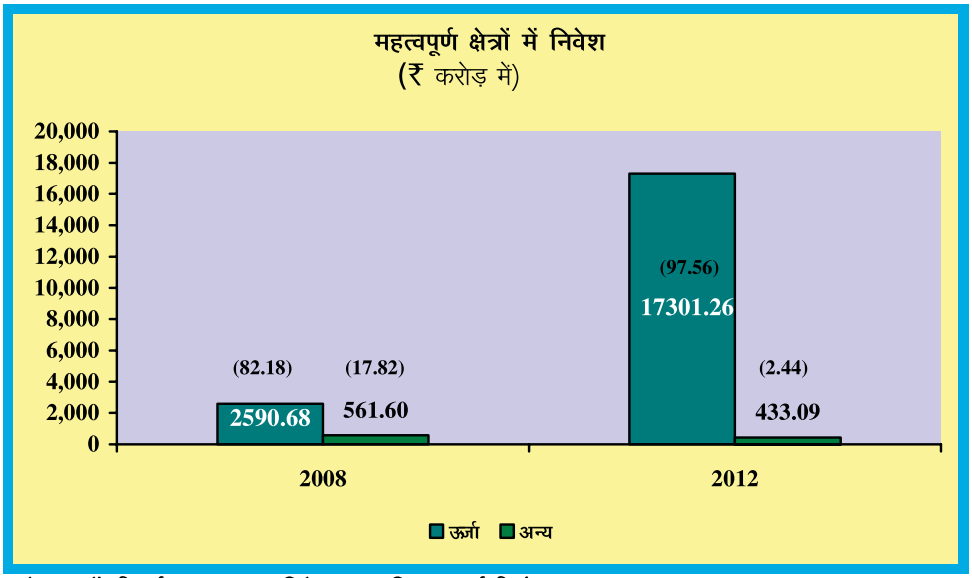

(कोष्ठक में दी गई संख्या कुल निवेश का प्रतिशत दर्शाती है)

उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है कि राज्य सरकार का अधिकतर निवेश पीएसयू में से ऊर्जा क्षेत्र में था जो कि वर्ष 2007-08 के दौरान ₹ 2590.68 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 17301.26 करोड़ हो गया ।

बजटीय बहिर्गमन समता, अनुदान/उपदान, प्रत्याभूति एवं ऋण के लिए

1.10 राज्य पीएसयू के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समता, ऋण, अनुदान/उपदान, निर्गत प्रत्याभूतियाँ, अपलेखित ऋण, ऋणों का पूँजी में परिवर्तन और ब्याज की माफी के प्रति बजटीय बहिर्गमन का विस्तृत ब्यौरा ***अनुलग्नक- 1.3*** में दिया है। 2011-12 तक समाप्त हुए तीन वर्षों का संक्षिप्त विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12	
		पीएसयू की संख्या	राशि (₹करोड़ में)	पीएसयू की संख्या	राशि (₹करोड़ में)	पीएसयू की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	बजट से समता पूँजी बहिर्गमन	-	-	-	-	-	-
2.	बजट से दिए गए ऋण	1	500.00	1	0.01	1	500.00
3.	प्राप्त अनुदान/उपदान	7	1637.70	7	446.03	7	1515.23
4.	कुल बहिर्गमन (1+2+3)	7[6]	2137.70	7[6]	446.04	7[6]	2015.23
5.	समता में परिवर्तित ऋण	-	-	-		-	-
6.	निर्गत प्रत्याभूतियां	1	1.46	1	2.33	1	2.50
7.	प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	2	376.53	2	345.61	2	302.84

1.11 पूर्व के पांच वर्षों की समता, ऋण एवं अनुदान/उपदान से संबंधित बजटीय बहिर्गमन का विस्तृत विवरण नीचे ग्राफ में दिया गया है:

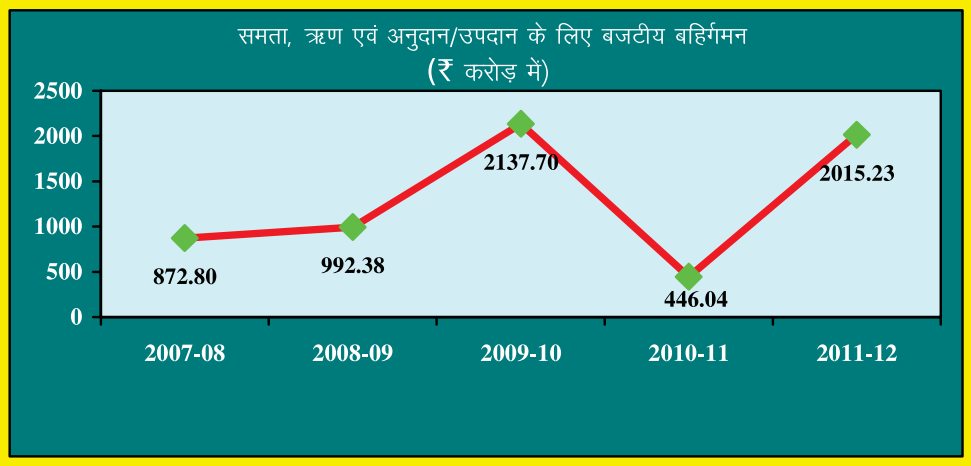

समता, ऋण और अनुदान/उपदान से संबंधित बजटीय बहिर्गमन ₹ 872.80 करोड़ (2007-08) से बढ़कर ₹ 2137.70 करोड़ (2009-10) हुआ। यह अत्यधिक घटकर ₹ 446.04 करोड़ (2010-11) हुआ और पुनः बढ़कर ₹ 2015.23 करोड़ (2011-12) हो गया। वर्ष 2011-12 के दौरान बजटीय बहिर्गमन ₹ 2015.23 करोड़ में दो पीएसयू यथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को विस्तारित समर्थन ₹ 1918.02 करोड़ ऋण, उपदान व अनुदान के रूप में क्रमशः ₹ 421.10 करोड़ एवं ₹ 1496.92 करोड़ सम्मिलित है।

[6] ये उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वास्तविक संख्या है जिन्हे वर्ष के दौरान समता, ऋण, अनुदान और उपदान के रूप में राज्य सरकार से बजटीय समर्थन प्राप्त हुआ है।

1.12 अदत्त प्रत्याभूति 2009-10 में ₹ 376.53 करोड़ से घटकर 2011-12 में ₹ 302.84 करोड़ हो गई। वर्ष 2011-12 के दौरान किसी भी पीएसयू ने प्रत्याभूति शुल्क/कमीशन का भुगतान राज्य सरकार को नहीं किया।

वित्त लेखों के साथ समाधान

1.13 राज्य के पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार समता, ऋण और अदत्त प्रत्याभूति के आंकड़े राज्य के वित्त लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों के समान होने चाहिए। यदि आंकड़ों में अंतर है तो संबंधित पीएसयू और वित्त विभाग को अंतर का मिलान करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2012 की स्थिति निम्न तालिका में हैः

(₹ करोड़ मे)

से संबंधित बकाया	वित्त लेखे के अनुसार राशि	पीएसयू के अभिलखों के अनुसार राशि	अंतर
समता	928.37	4341.08	3412.71
ऋण	484.11	390.15	93.96
गारंटियां	435.94	302.84	133.10

1.14 हमने पाया कि यह अंतर आठ[7] पीएसयू में था तथा कुछ अंतर वर्ष 2004-05 से समाधान हेतु लंबित था। सरकार एवं संबंधित पीएसयू को समयबद्ध ढंग से अंतरों का समाधान करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

पीएसयू का निष्पादन

1.15 पीएसयू एवं कार्यरत सांविधिक निगमों के वित्तीय परिणाम एवं वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम का विस्तृत विवरण क्रमशः ***अनुलग्नक-.1.2, 1.5*** एवं ***1.6*** में वर्णित है। पीएसयू के आवर्त का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात पीएसयू का राज्य की अर्थव्यवस्था में सक्रियता की सीमा को दर्शाता है। निम्न तालिका वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि में कार्यरत पीएसयू का आवर्त और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का विस्तृत विवरण प्रदर्शित करती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आवर्त[8]	4493.73	4773.05	5449.33	8804.03	14200.21
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद[9]	67455.00	80698.41	107848.23	129717.54	135536.34
आवर्त का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत	6.66	5.91	5.05	6.79	10.48

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से राज्य पीएसयू के समग्र आवर्त का प्रतिशत वर्ष 2007-08 में 6.66 से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 10.48 हो गया। वर्ष 2011-12 के दौरान आवर्त में महत्वपूर्ण वृद्धि मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र में हुई आवर्त वृद्धि के कारण था।

---

7 सीएनजेवीएवीएन, सीएसआईडीसी, सीएसपीएचसीएल, सीएसपीटीसीएल, सीएसपीडीसीएल, सीएससीएससीएल, सीएमएससीएल व सीआईडीसी

8 30 सितम्बर 2012 को अद्यतन अंतिमीकृत, लेखों के अनुसार आवर्त

9 वर्ष 2011-12 के लिए राज्य के जीडीपी का अग्रिम आंकलन है।

1.16 वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि में राज्य के कार्यरत पीएसयू द्वारा अर्जित समग्र लाभ का विवरण निम्न बार चार्ट में दिया गया है:

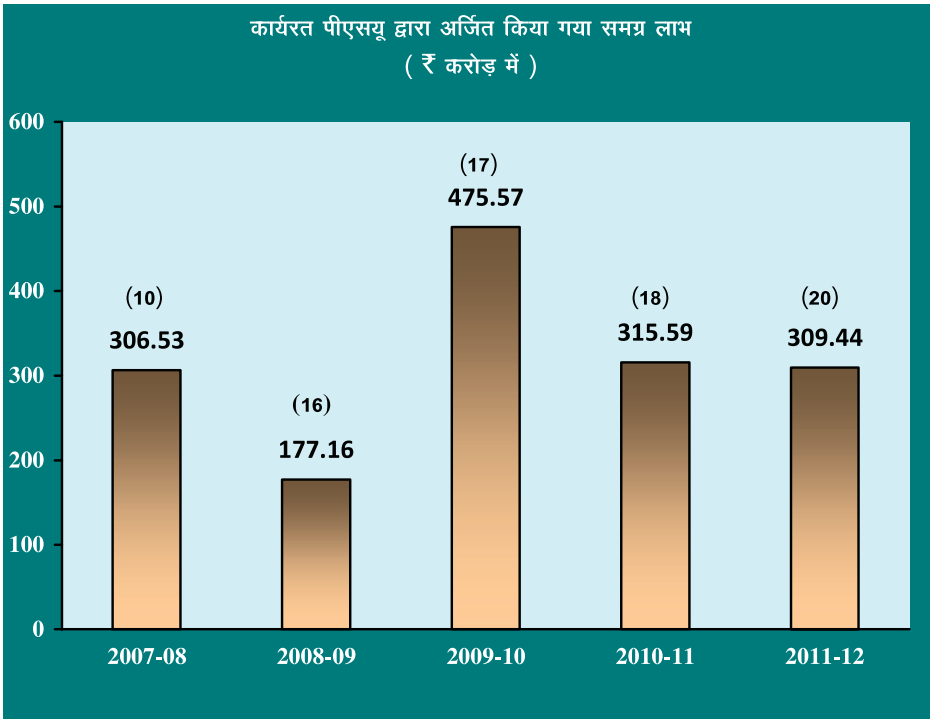

(कोष्ठकों में दिये गए आंकडें अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संबंधित वर्षों में कार्यरत पीएसयू की संख्या को दर्शाते हैं)

30 सितम्बर 2012 को उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार कार्यरत 20 पीएसयू[10] में से 11 पीएसयू[11] द्वारा ₹ 922.12 करोड़ का समग्र लाभ अर्जित किया गया और छः पीएसयू[12] को समग्र रूप में ₹ 612.68 करोड़ की हानि हुई। एक पीएसयू[13] द्वारा अपने लेखे 'न लाभ न हानि' के आधार पर तैयार किए गए। शेष दो पीएसय[14]ू द्वारा अपने प्रथम लेखों को अंतिमीकृत नहीं किया था। लाभ में वृहद् योगदान छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल (₹ 754.13 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (₹ 22.22 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (₹102.51 करोड़) एवं छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम (₹ 21.90 करोड़) का रहा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (₹ 581.34 करोड़) एवं छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹ 29.88 करोड़) को मुख्यतः हानि हुई। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यद्यपि सीएसईबी 1 जनवरी 2009 से कोई कार्य नही कर रही है,

---

10 पूर्ववर्ती सीएसईबी को सम्मिलित करके जिसे पाँच ऊर्जा कंपनियों में दिसंबर 2008 में विखण्डित किया गया (**अनुलग्नक- 1.2** की क्रमांक संख्या ए-10 से 14), लेकिन 31 दिसम्बर 2008 को समाप्त होने वाली 9 माह अवधि के इसके लेखों का अतिमीकृत मई 2012 में किया गया

11 सीआरबीईकेवीएनएल, सीआरवीवीएनएल, सीएनजेवीएवीएन, सीआईडीसी, सीएमडीसी, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीटीआरसीएल, सीएसपीटीसीएल, सीएसबीसीएल, सीएसडब्लूसी एवं सीएसईबी

12 सीएसआईडीसी, सीआईसीएल, सीएससीसीएल, सीएसपीजीसीएल एईएल पीसीएल, सीएसपीडीसीएल एवं सीएससीएससीएल

13 सीएसपीएचसीएल

14 सीएमएससीएल एवं सीपीएचसीएल

उपरोक्त वर्णित लाभ 31 दिसंबर 2008 को समाप्त होने वाले नौ माह की अवधि से संबंधित है, जिसके लेखे वर्ष 2011-12 के दौरान अंतिमीकृत किये गये।

1.17 पीएसयू की हानि का कारण मुख्यतः वित्तीय प्रबंधन, नियोजन, परियोजनाओं के क्रियान्वयन, क्रियाओं का संचालन एवं निगरानी में कमी थी। सीएजी की अद्यतन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के पीएसयू को ₹ 1958.08 करोड़ की हानि हुई तथा ₹ 44.12 करोड़ का निवेश निष्फलित रहा जो बेहतर प्रबंधन से नियंत्रणीय था। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से वर्षवार विवरण नीचे दिया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	योग
कार्यरत पीएसयू का निवल लाभ(+)/ हानि(-)	475.57	315.59	309.44	**1100.60**
सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार नियंत्रणीय हानि	420.70	2096.95	1958.08	**4475.73**
निष्फलित निवेश	80.92	0	44.12	**125.04**

1.18 उपरोक्त हानियों को पीएसयू के अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बतायी गयी है। वास्तविक नियंत्रणीय हानि इससे ज्यादा हो सकती है। उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि अच्छे प्रबंधन द्वारा लाभ को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। पीएसयू अपने दायित्वों को दक्षतापूर्वक तभी निभा सकते हैं जब वे वित्तीय रूप से स्वावलंबी हो। उपरोक्त परिस्थिति पीएसयू के कार्यकलाप में पेशेवरपन तथा जवाबदेही की आवश्यकता इंगित करते है।

1.19 राज्य के पीएसयू से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण मापदण्ड उनके नवीनतम अंतिमीकृत लेखे के अनुसार निम्न तालिका में है:

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (प्रतिशत)	22.76	14.38	12.09	5.10	5.59
ऋण (₹ करोड़ में)	3108.27	2861.68	4249.60	5258.06	8576.28
आवर्त[15] (₹ करोड़ में)	4493.73	4773.05	5449.33	8804.03	14200.21
ऋण/आवर्त अनुपात	0.69:1	0.60:1	0.78:1	0.60:1	0.60:1
ब्याज का भुगतान (₹ करोड़ में)	216.20	180.99	213.31	353.87	618.38
संचित लाभ (₹ करोड़ में)	728.52	836.89	1808.06	2052.21	2002.78

1.20 नियोजित पूँजी पर प्रत्याय वर्ष 2007-08 में 22.76 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011-12 में 5.59 प्रतिशत हो गया जो पीएसयू के हीन कार्य निष्पादन को प्रदर्शित करता है। जबकि ऋण आवर्त अनुपात वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक समान रहा। राज्य पीएसयू के संचित लाभ भी 2007-08 से 2011-12 के दौरान क्रमिक सुधार प्रदर्शित किया और वर्ष 2007-08 (₹ 728.52 करोड़) से वर्ष 2011-12 (₹ 2002.78 करोड़) में लगभग तीन गुना वृद्धि दर्ज की। यह दर्शाता है कि राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो का निष्पादन ऋण भार को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त है।

[15] 30 सितंबर 2012 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार कार्यरत पीएसयू का आवर्त

1.21 राज्य सरकार द्वारा नियोजित प्रदत्त अंश पूँजी पर न्यूनतम प्रत्याय का भुगतान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई लाभांश नीति नहीं बनाई है। 11 पीएसयू ने अपने अद्यतन अंतिमीकृत लेखो के अनुसार ₹ 922.12 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया जिसमें से केवल दो पीएसयू[16] ने ₹ 2.43 करोड़ का लाभांश घोषित किया।

लेखों के अंतिमीकरण में विलंब

1.22 कंपनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 166, 210, 230, 619 एवं 619(ब) के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखे उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अंदर तैयार किए जाने चाहिए। इसी तरह सांविधिक निगमों के विषय में उनके लेखो का अंतिमीकरण, अंकेक्षण एवं विधायिका में प्रस्तुतीकरण उनके संबंधित अधिनियमो के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। सितंबर 2012 तक कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लेखे तैयार करने की प्रगति का विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया हैः

क्र. सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	कार्यरत पीएसयू की संख्या	10	16[17]	17[18]	18[19]	20[20]
2.	वर्ष के दौरान अंतिमीकृत लेखों की संख्या	10	9	16	15	16
3.	लंबित लेखों की संख्या	31	36	36	38	41
4.	प्रत्येक पीएसयू का औसत बकाया (3/1)	3.10	2.57	2.25	2.24	2.16
5.	लंबित लेखों वाले कार्यरत पीएसयू की संख्या	10	13	15	15	15
6.	लंबित लेखों का विस्तार (वर्षों में)	1 से 5	1 से 5	1 से 6	1 से 5	1 से 6

1.23 पीएसयू के लंबित लेखों की संख्या 2007-08 में 10 पीएसयू के विषय में 31 लेखों से 2011-12 में बढ़कर 15 पीएसयू के विषय में 41 हो गई।

1.24 राज्य सरकार द्वारा जिन वर्षों के लेखे तैयार नहीं किए गए उन वर्षों में आठ पीएसयू में ₹ 3253 करोड़ (ऋणः ₹ 511.96 करोड़, अनुदानः ₹ 252.43 करोड़ एवं उपदान ₹ 2488.61 करोड़) का निवेश रहा, जिसका विवरण ***अनुलग्नक- 1.4*** में दिया गया है। लेखों की अनुपस्थिति में एवं तत्पश्चात् अंकेक्षण की अनुपस्थिति से यह

---

16 सीआरवीवीएनएल एवं सीएसडब्लूसी

17 30 दिसंबर 2008 को स्थापित सीएसपीएचसीएल एवं सीएसपीटीआरसीएल को शामिल करते हुए तथा जिनके प्रथम लेखों को 15 माह की अवधि हेतु तैयार किये जाने के कारण लंबित होने पर विचारित नहीं किया गया।

18 राज्य सरकार के अधिसूचना दिनांक 19 दिसम्बर 2008 के अनुसार 1 जनवरी 2009 से प्रभावी पाँच कंपनियों में विखंडित सीएसईबी को शामिल करते हुये। सीएसईबी का नाम अध्याय में समाधान हेतु शामिल किया गया है, जिसके 2008-09 तक के लंबित लेखों का अंतिमीकरण **अनुलग्नक- *1.2*** के अंतर्गत प्रदर्शित है तथा जिसे लंबित लेखों की तरह विचारित नही किया गया है।

19 सीएसईबी को लंबित लेखों के रूप में विचारित नहीं किया गया है।

20 सीएसईबी को लंबित लेखों के रूप में विचारित नही किया गया और 14 दिसम्बर 2011 को स्थापित सीपीएचसीएल को भी उसके प्रथम लेखे 15 माह की अवधि के लिए तैयार करने के कारण लंबित लेखों में विचारित नही किया गया है। जबकि सीएमएससीएल के संबंध में दो लेखों को लंबित माना गया क्योंकि कंपनी ने दो पृथक लेखे, एक 7 अक्टूबर 2010 से 31 मार्च 2011 की अवधि के लिए और दूसरा 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 की अवधि हेतु तैयार किये है।

सुनिश्चित नही किया जा सकता कि निवेश एवं किये गये खर्चो को यथोचित रूप से लेखांकित किया गया तथा जिस उद्देश्य से निवेश किया गया था, वह उद्देश्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार सरकार द्वारा इन पीएसयू में किया गया निवेश राज्य विधायिका की संवीक्षा की सीमा से बाहर रहा। इसके अतिरिक्त लेखों के अंतिमीकरण में विलंब के फलस्वरूप कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लधंन के अतिरिक्त धोखे का जोखिम तथा सार्वजनिक कोष का क्षरण हो सकता है।

1.25 प्रशासकीय विभागों की यह दायित्व है कि वह इन इकाईयों के कार्यकलापों की निगरानी करे तथा यह सुनिश्चित करे कि उनके लेखे निर्दिष्ट समय सीमा में अंतिमीकृत और अंगीकृत कर लिये हैं। यद्यपि संबंधित प्रशासनिक विभागों एवं सरकारी अधिकारियों को लंबित लेखों की जानकारी दे दी गई तथापि सुधार के कोई उपाय नहीं किए गए। इसके परिणामस्वरूप हमारे द्वारा इन पीएसयू के शुद्ध परिसम्पत्तियों का निर्धारण नहीं किया जा सका। लंबित लेखों का मामला हमारे द्वारा मुख्य सचिव की जानकारी में भी लाया गया (मार्च 2012) ताकि लंबित लेखों का समयबद्ध रूप से जल्दी निपटारा किया जा सके ।

1.26 इन उपरोक्त लंबित लेखों को देखते हुए यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुरूप लेखों के समयबद्ध अंतिमीकरण को सुनिश्चित एवं निगरानी करना चाहिये।

लेखा टिप्पणी एवं आंतरिक अंकेक्षण

1.27 1 अक्टूबर 2011 से 30 सितंबर 2012 तक की अवधि में 13 कार्यरत कंपनियों ने अपने 14 अंकेक्षित लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किए। इनमें से 11 कंपनियों[21] का चयन अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए किया गया। सीएजी द्वारा नियुक्त वैधानिक अंकेक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा सीएजी की अनुपूरक लेखापरीक्षा दर्शाती है कि लेखों के रखरखाव की गुणवत्ता में सुधार किये जाने की आवश्यकता है। वैधानिक अंकेक्षकों तथा सीएजी की टिप्पणियों के समग्र मौद्रिक मूल्य का विवरण आगे दिया गया है:

क्र. सं.	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12	
		लेखों की संख्या	राशि (₹करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹करोड़ में)
1.	लाभ में कमी	1	3.92	3	1027.92	8	1024.43
2.	हानि में वृद्धि	3	5.91	1	0.36	-	-
3.	लाभ में वृद्धि	-	-	2	3.66	-	-
4.	हानि में कमी	-	-	-	-	1	6469.24
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	3	70.14	1	15.62	-	-

[21] सीआरबीईकेवीएनएल, सीआरवीवीएनएल, सीआईडीसी, सीएमडीसी, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीटीसीएल, सीएसबीसीएल, सीआईसीएल, सीएसपीडीसीएल, सीएससीएससीएल तथा सीएसपीएचसीएल

1.28 वर्ष 2011-12 के दौरान, वैधानिक अंकेक्षकों ने तीन लेखों को अमर्यादित प्रमाण पत्र तथा 11 लेखों को मर्यादित प्रमाण पत्र प्रदान किए। कंपनियों द्वारा लेखा मानकों (एएस) का अनुपालन सामान्यतः संतोषजनक रहा क्योंकि वर्ष के दौरान केवल छः मामलों में एएस-15[22], चार मामलों में एएस-2[23] के सम्बंध में तथा तीन मामलों में एएस-1[24],एएस-9[25] तथा एएस-28[26] का गैर अनुपालन देखा गया ।

1.29 वर्ष 2011-12 के दौरान अंतिमीकृत कम्पनी लेखों के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां नीचे दी गई हैः

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (2009-10)

- सरकारी ऋण ₹ 500 करोड़ पर ब्याज के कम प्रावधान के कारण ₹ 0.33 करोड़ की हानि व चालू दायित्व को कम करके दिखाया गया।
- विपणन संघ/शक्कर मिलों को वर्ष 2009-10 के दौरान चावल/शक्कर की खरीद की दायित्व के सापेक्ष चावल/शक्कर की विकेन्द्रीकृत आपूर्ति हेतु दिये गये ₹ 424.34 करोड़ के अग्रिम के गैरसमायोजन के कारण चालू सम्पत्तियों (ऋण एवं अग्रिम) तथा चालू दायित्व (अन्य पार्टियों को भुगतान) को बढ़ाकर दिखाया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (2009-10)

- राजस्व व्ययों के प्रावधान नही किये जाने के कारण ₹ 56 लाख से लाभ को बढ़ाकर एवं परिणामतः मरम्मत, प्रशासनिक, अन्य खर्चो एवं चालू दायित्व को कम करके दिखाया गया।
- प्रगतिशील रहे 13 पूंजीगत कार्यो पर हुए ₹ 15.15 करोड़ के खर्चो के गैर लेखाकरण के कारण चालू दायित्व एवं प्रावधान व पूंजीगत कार्य प्रगति पर को कम करके दिखाया गया।
- पारेषण शुल्क, आवेदन शुल्क एवं एस.एल.डी.सी शुल्कों के रूप में मार्च 2010 में एकत्रित किये गये राजस्व के गैर-लेखाकरण के कारण रोकड़ व बैंक शेष तथा लाभ को ₹ 26.33 लाख से कम करके दिखाया गया।
- जमा कार्यों से संबंधित उपभोक्ताओं से वसूल हुई राशि को शामिल न करने के कारण चालू दायित्व और प्राप्य (अंतर्कंपनी समायोजन लेखों के अंतर्गत) को ₹1.69 करोड़ से कम दिखाया गया।

1.30 इसी प्रकार, वर्ष 2011-12 के दौरान कार्यरत दो सांविधिक निगमों द्वारा लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किए गए। इनमें से एक निगम (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल) जिसके संबंध में एकल लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है, के लेखों की लेखापरीक्षा (2008-09) को मई 2012 में अंतिमीकृत किया गया। अन्य सांविधिक निगम

---

[22] एएस-15 : नियोक्ता के वित्तीय विवरणों में सेवानिवृत्ति लाभों के लिए लेखांकन

[23] एएस-2 : स्कंध का मूल्यांकन

[24] एएस-1 : लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण

[25] एएस-9 : राजस्व की पहचान

[26] एएस-28 : संपत्तियों की क्षय

(छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम) के लेखों को भी अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया। इन दोनों निगमों पर वैधानिक अंकेक्षकों तथा सीएजी की टिप्पणियों के समग्र मौद्रिक मूल्य का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12	
		लेखों की संख्या	राशि (₹करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹करोड़ में)
1	लाभ में वृद्धि	1	23.13	-	-	-	-
2	लाभ में कमी	2	82.71	2	3607.91	2	1056.20
3	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	1	900.77	1	1.93	-	-
	योग		**1006.61**		**3609.84**		**1056.20**

1.31 वर्ष के दौरान वैधानिक अंकेक्षक से छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम के एक लेखे को मर्यादित प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। सीएजी द्वारा सीएसईबी को एकल लेखापरीक्षक के रूप में 31 दिसम्बर 2008 को समाप्त होने वाली नौ माह की अवधि के लेखों के लिये नकारात्मक प्रमाण जारी किया।

1.32 सांविधिक निगमों के लेखों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां नीचे दी गई है:

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल (2008-09)

- ग्रेच्युटी एवं पेंशन के लिए अर्जित दायित्व का प्रावधान नही किये जाने के कारण ₹ 1037.45 करोड़ से अन्य चालू दायित्व को कम करके तथा लाभ को बढ़ाकर दिखाया गया।
- ईंधन स्कंध की मात्रा में भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई शुद्ध कमी के गैर समायोजन के कारण ₹ 4.47 करोड़ से विद्युत उत्पादन के खर्चो को कम करके तथा लाभ को बढ़ाकर दिखाया गया।
- उच्च दाब उपभोक्ताओं के विरूद्ध बिल न किये गये राजस्व के गैर-लेखाकरण के कारण विद्युत आपूर्ति से प्राप्य, विद्युत विक्रय से राजस्व एवं लाभ को ₹ 20.34 करोड़ से कम करके दिखाया गया।
- दिसम्बर 2008 में कोलरीज द्वारा कोयले की आपूर्ति के कम प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 8.27 करोड़ से अन्य चालू दायित्व को कम करके तथा लाभ को बढ़ाकर दिखाया गया।
- वर्ष 2006-07 के विद्युत क्रय बिल संबंधी दायित्वों को प्रावधानित न किये जाने के कारण ₹ 26.09 करोड़ से अन्य चालू दायित्व को कम करके तथा लाभ को बढ़ाकर दिखाया गया।

लेखापरीक्षा के फलस्वरूप वसूलियाँ

1.33 वर्ष 2011-12 में लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न पीएसयू के प्रबंधन को ₹ 337.12 करोड़ की वसूली बतायी गई जिसमें से एक पीएसयू (सीएसपीजीसीएल) द्वारा ₹ 0.19 करोङ स्वीकार किया गया तथा उसे वर्ष 2011-12 के दौरान वसूली की गयी थी।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किये जाने की स्थिति

1.34 निम्न तालिका सांविधिक निगमों के लेखों पर सीएजी द्वारा निर्गत पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) को राज्य विधायिका में प्रस्तुत किये जाने की स्थिति को दर्शाती है।

क्र. सं.	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जिसमें पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका में रखा गया		
		पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सरकार को जारी किए जाने की तिथि	विधायिका में रखने की तिथि
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल	2008-09	17.05.2012	16.07.2012
2.	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम	2010-11	27.01.2012	04.04.2012

विद्युत क्षेत्र में सुधार

1.35 विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के विखण्डन की प्रक्रिया पूर्ण की गई। मण्डल का विखण्डन पाँच कंपनियों[27] में हुआ जो 1 जनवरी 2009 से प्रभावी था।

1.36 राज्य ने मई 2004 में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के तहत् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (आयोग) की स्थापना विद्युत प्रशुल्क की युक्तिसंगत करने, राज्य में विद्युत उत्पादन, पारेषण व वितरण संबंधी मामलों में सलाह देने एवं अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) को जारी करने के उद्देश्यों के साथ की। वर्ष 2011-12 के दौरान आयोग ने वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं पर सात और 65 अन्य आदेश जारी किये।

1.37 केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय एवं मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने मई 2000 में विद्युत क्षेत्र में सुधार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए संयुक्त प्रतिबद्धता के साथ चिन्हित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये। नवंबर 2000 में मध्यप्रदेश पुर्नगठन अधिनियम के अन्तर्गत पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य के विभाजन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के बाद से यद्यपि केन्द्रीय उर्जा मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य कोई एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे। इसी कारण सुधार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और चिन्हित उद्देश्यों की उपलब्धियों को निर्धारित नहीं किया जा सका।

[27] सीएसपीडीसीएल, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीएचसीएल, सीएसपीटीआरसीएल एवं सीएसपीटीसीएल।